रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092021-229728
CG-DL-E-16092021-229728

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3490]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 16, 2021/भाद्र 25, 1943
No. 3490]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 16, 2021/BHADRA 25, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2021

सं. 26 / 2015–2020

विषय : स्क्रिप आधारित विदेश व्यापार नीति की स्कीमों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की वैधता अवधि।

का.आ. 3802(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और विदेश व्यापार नीति के समर्थकारी पैरा 3.13 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से विदेश व्यापार नीति 2015–20 में निम्नलिखित को शामिल करती है:

2. विदेश व्यापार नीति 2015–20 में पैरा 3.13 के बाद निम्नलिखित पैरा को शामिल किया जाता है:

"3.13 (क) स्क्रिप आधारित योजनाओं के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि

क. स्क्रिप आधारित दावों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के संबंध में प्रक्रिया पुस्तिका 2015–20 में मौजूदा निर्धारित प्रावधानों के अधिक्रमण में निम्नलिखित योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को संशोधित कर 31 दिसम्बर, 2021 कर दिया गया है अर्थात:–

i. एमईआईएस के लिए (01.07.2018 से 31.03.2019, 01.04.2019 से 31.03.2020 और 01.04.2020 से 31.12.2020 की अवधि में किए गए निर्यात के लिए)

ii. एसईआईएस के लिए (वित्त वर्ष 18–19 और वित्त वर्ष 2019–20 में किए गए सेवा निर्यात के लिए)

iii. 2% अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के लिए (एफटीपी के पैरा 3.25 के तहत – केवल 01.01.2020 से 31.03.2020 की अवधि में किए गए निर्यात के लिए)

iv. आरओएससीटीएल के लिए (07.03.2019 से 31.12.2020 तक किए गए निर्यात के लिए) और

v. आरओएसएल के लिए (06.03.2019 तक किए गए निर्यात के लिए जिसके लिए स्क्रिप तंत्र के अधीन अब तक दावों का संवितरण नहीं किया गया है)

31.12.2021 के बाद, किसी और आवेदन को जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और वे कालातीत हो जाएंगे। बाद की तारीख में दावे प्रस्तुत करने के लिए विलंब कटौती के प्रावधान भी उपलब्ध नहीं होंगे।

ख. एचबीपी के पैरा 9.02 में यथा लागू विलंब कटौती पर निर्धारित प्रावधानों के अधिक्रमण में ऊपर बताए अनुसार 31.12.2021 तक जमा किए गए आवेदनों के लिए नई विलंब कटौती इस प्रकार होगी;

क्र. सं.	स्कीम	निर्यातों की अवधि (अवधि में अनुमत निर्यात की तारीख/अवधि में दी गई सेवाएं	विलंब कटौती (स्कीम के तहत पात्रता के % के रूप में)
1	एमईआईएस	वित्तीय वर्ष 2018–19 (01.07.2018 से 31.03.2019)	10%
2	एमईआईएस	वित्तीय वर्ष 2019–20 और वित्तीय वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक)	शून्य
3	एसईआईएस	वित्तीय वर्ष 2018–19	5%
4	एसईआईएस	वित्तीय वर्ष 2019–2020	शून्य
5	आरओएससीटीएल	07.03.2019 से 31.12.2020	शून्य
6	आरओएसएल	06.03.2019 तक	शून्य

3.13 खः स्क्रिप्स की वैधता अवधि

क. विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 अथवा पूर्व की विदेश व्यापार नीतियों के अध्याय 3 और अध्याय 4 के तहत स्क्रिप्स आधारित योजनाओं हेतु, प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) 2015–20 में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की वैधता के संबंध में मौजूदा निर्धारित प्रावधानों के अधिक्रमण में, *दिनांक 16.09.2021* को अथवा उसके पश्चात् जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की गई वैधता अवधि जारी करने की तारीख से 12 माह होगी।

2. इस अधिसूचना का प्रभावः एमईआईएस, एसईआईएस, आरओएससीटीएल, आरओएसएल और 2% अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन (एफटीपी के पैरा 3.25 के अधीन) के अधीन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 में इस तरह के किसी भी प्रावधान के अधिक्रमण में 31.12.2021 अधिसूचित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 में वैधता प्रावधानों के अधिक्रमण में इस अधिसूचना की तारीख से विदेश व्यापार नीति के अधीन जारी किसी भी स्क्रिप की वैधता को जारी होने की तारीख से 12 महीने के लिए अधिसूचित किया गया है।

[फा. सं. 01/61/180/288/एएम20/पीसी–3 (पार्ट)]

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, 16th September 2021

No. 26/2015-2020

Subject : Last Date for Submitting applications for Scrip based FTP Schemes and validity period of Duty Credit Scrips

S.O. 3802(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20 and the enabling para 3.13 of the FTP, the Central Government hereby inserts the following in the Foreign Trade Policy 2015-20 with immediate effect:

2. The following paragraphs are inserted in the FTP 2015-20 after paragraph 3.13:

"3.13A: Last Date of Submitting Applications for Scrip based Schemes

a. In supersession of the existing laid down provisions in the Hand Book of Procedures, 2015-20 with regard to last date for submitting online applications for scrip based claims, the last date for submitting online applications stands revised to 31st December 2021 for the following schemes i.e.

   i. for MEIS (for exports made in the period (s) 01.07.2018 to 31.03.2019, 01.04.2019 to 31.03.2020 and 01.04.2020 to 31.12.2020),

   ii. for SEIS (for service exports rendered for FY 18-19 and FY 2019-20),

   iii. for 2 % additional ad hoc incentive (under para 3.25 of the FTP – for exports made in the period 01.01.2020 to 31.03.2020 only),

   iv. for ROSCTL (for exports made from 07.03.2019 to 31.12.2020) and

   v. for ROSL (for exports made upto 06.03.2019 for which claims have not yet been disbursed under scrip mechanism).

   After 31.12.2021, no further applications would be allowed to be submitted and they would become time-barred. Late cut provisions shall also not be available for submitting claims at a later date.

b. In supersession of the laid down provisions on applicable late cut as in para 9.02 of the HBP, the new late cut for applications submitted upto 31.12.2021 as indicated above shall be:

Sl. No.	Scheme	Period of Exports (Let Export Date in the period) / Services rendered in the period	Late Cut (as % age of Entitlement under the Scheme)
1	MEIS	FY 2018-19 (01.07.2018 to 31.03.2019)	10%
2	MEIS	FY 2019-20 and FY 2020-21 (upto 31.12.2020)	Nil
3	SEIS	FY 2018-19	5 %
4	SEIS	FY 2019-20	Nil
5	ROSCTL	07.03.2019 to 31.12.2020	Nil
6	ROSL	Upto 06.03.2019	Nil

3.13B: Validity Period of Scrips

a. In supersession of existing laid down provisions regarding validity of a Duty Credit Scrip in Hand Book of Procedures (HBP) 2015-20, the new validity period of a Duty Credit Scrip issued on or after 16.09.2021 shall be 12 months from the date of issue, for scrip based Schemes under chapter 3 and chapter 4 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20 or the earlier FTPs"

2. Effect of this Notification: The last date of submitting applications under MEIS, SEIS, ROSCTL, ROSL and 2% additional ad hoc incentive (under para 3.25 of FTP) has been notified to be 31.12.2021, in supersession of any such provision in the Hand Book of Procedures, 2015-20 going forward. Further, the validity of any scrip issued under FTP from the date of this Notification have been notified to be 12 months from the date of issue, in supersession of validity provisions in the Handbook of Procedures, 2015-20.

[F. No. 01/61/180/288/AM20/PC-3 (Part)]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.16 22:41:14 +05'30'